ग्राम पंचायत सलोह बैरी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सलोह बैरी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत सलोह बैरी में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती रक्षा देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री बलजीत सिंह राणा	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सलोह बैरी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	23.37
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	1.12
3)	8.1	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	10.90
4)	8.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	4.29
5)	9.1	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	1.01
6)	9.2	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.40
7)	9.3	निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करना	0.15
8)	9.4 व 9.5	विभिन्न अनियमित भुगतान	0.15
9)	10.1 व 10.2	अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	9.70

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत सलोह बैरी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04/07/2024 से 15/07/2024 तक ग्राम पंचायत सलोह बैरी के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	09/2022	06/2022
2023-24	02/2024	03/2024

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व

उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत सलोह बैरी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹4800** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 606/2024 दिनांक 15/07/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत सलोह बैरी द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित दौलतपुर चौंक के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 320996 दिनांक 19/07/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत सलोह बैरी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 579/2024 दिनांक 05/07/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पांच रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, 14वां वित्तायोग (Online), 15वां वित्तायोग (Online), IWMP (Offline) व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	3362081.14	3651413	7013494.14	4348725.65	2664768.49
2	2023-24	2664768.49	2818488.76	5483257.25	3146124.42	2337132.83

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सलोह बैरी के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹16437.30** था :-

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	2337132.83
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**2352962.13**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	608.00
4)	**योग (2+3)**	**2353570.13**
5)	**अन्तर (4-1)**	**16437.30**

अंतर के कारण :-

1) दिनांक 12/11/2021 को 15वें वित्तायोग शीर्ष के बैंक खाते से बैंक द्वारा **₹17.70** बैंक चार्जेज की कटौती की गई, जिसे दिनांक 31/03/2024 तक रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज नहीं किया गया |
2) दिनांक 15.05.23 को 15वें वित्तायोग शीर्ष के बैंक खाते में **₹18** की आय प्राप्त हुई, जिसे दिनांक 31.03.24 तक आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया |
3) दिनांक 31.03.24 को 15वें वित्तायोग शीर्ष के बैंक खाते में **₹7337** ब्याज का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31.03.24 तक आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया |
4) IWMP शीर्ष से तरसेम पेंटर को वाउचर संख्या 9 दिनांक 27.07.2022 द्वारा **₹9100** का भुगतान 13 नंबर बोर्ड की लिखाई हेतु किया गया, परन्तु जिसका बैंक द्वारा भुगतान दिनांक 31.03.24 तक नहीं किया गया |

कुल अंतर (18+7337+9100-17.70) = **16437.30**

अतः उपरोक्त अन्तर की राशियों का रोकड़ बही में आवश्यक सुधार/समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Daultpur (Own & GIA)	20014009420	1328506.65
2	KCCB Daultpur (SBM)	50066721649	2818.00
3	PNB Daultpur	3957000100120660	104544.60
4	HDFC Gagret (15th FC)	50100360743590	807375.14
5	PNB Daultpur (14th fc)	3957000100119178	2293.80
6	PNB Daultpur (IWMP Contribution Share)	3957000100118656	107423.94
7	PNB Daultpur (IWMP)	3957000100119558	0.00
		योग	**2352962.13**
		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	608.00
		योग (1+2)	**2353570.13**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय-व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(घ) रोकड़ बहियों के अनुरक्षण न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार फार्म 14 पर रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 586/2024 दिनांक 08/07/2024 के प्रत्युतर

में अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों का सूची अनुसार **निम्न विवरणानुसार** खाते से सम्बन्धित रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं किया गया था, क्योंकि उक्त खाते में ब्याज के अतिरिक्त कोई भी लेन-देन नहीं हुआ था तथा न ही अंकेक्षण अवधि दौरान रोकड़ बही के आय व व्यय पक्ष में कोई इन्द्राज किया गया था | अतः रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को दिखाया जाए। इसके अतिरिक्त निम्न खाते में अनुपयुक्त राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**मद का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 को राशि**
1	KCCB Daultpur	50059181677	MMGPY	384.00

(ड.) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालना :-

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेन-देन की प्रविष्टियों उपरांत इसे बंद करते हुए अंत शेष निकालना आवश्यक है तथा मासांत एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है | यद्यपि रोकड़ बहियाँ पंचायत प्रधान द्वारा आंशिक रूप से हस्ताक्षरित तो की गई थी, परन्तु 14वें वित्तायोग व एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना शीर्ष की रोकड़ बही में न तो अंतशेष निकाले गए थे और न ही उनका नियमानुसार सत्यापन हुआ था। रोकड़ बहियों में अंतशेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करती है | अत: इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 579/2024 दिनांक 05/07/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/02 दिनांक 15/07/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना

में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके । अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹23.37 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 579/2024 दिनांक 05/07/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹2337132.83** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 579/2024 दिनांक 05/07/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/02 दिनांक 15/07/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए ।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 579/2024 दिनांक 05/07/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/02 दिनांक 15/07/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹1.12 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 579/2024 दिनांक 05/07/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/02 दिनांक 15/07/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर राशि **₹111600 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	71400	50600	122000	55000	67000
2023-24	67000	50600	117600	6000	111600

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹2600** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	2000
2	2023-24	600
	योग	**2600**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 593/2024 दिनांक 10/07/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में

जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि का शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.03 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट ग में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹3200** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2022-23	2000
2	2023-24	1200
	योग	**3200**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 594/2024 दिनांक 10/07/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके, राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवा दी जाएगी। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.4 ₹0.02 लाख की प्राप्त आय का सम्भावित दुरूपयोग :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 02/2024 में **निम्न विवरणानुसार** रसीदों द्वारा गृहकर / विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹2300** की राशि प्राप्त की गई दर्शाई थी, लेकिन इस राशि को न तो रोकड़

बही के हस्तगत शेष में दर्शाया गया था तथा न ही बैंक में जमा करवाया गया था | फलस्वरूप उक्त **₹2300** की राशि का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 604/2024 दिनांक 15/07/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त **₹2300** की वसूली करके बैंक में दिनांक 25.07.2024 को जमा करवा दिया गया है, जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पास बुक से कर ली गई है |

क्रम संख्या	**रसीद संख्या**	**गृहकर से प्राप्त राशि (₹)**	**रोकड़ बही में दर्ज गई राशि (₹)**	**कम दर्ज की गई राशि (₹)**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्या**
1	719562 से 719600	3900	3800	100	173
2	719249 से 719250	200	00	200	--
3	719133 से 719151	2000	00	2000	--
			योग	**2300**	

8 अतिरिक्त निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-171009 का दिनांक 15.07.2024 का निरीक्षण प्रतिवेदन :-

8.1 ₹10.90 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 06/2022 व 03/2024 में **सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार ₹1090334.75** की सामग्री का क्रय किया गया था, जिसकी स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 591/2024 दिनांक 08/07/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सलोह बैरी के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की

सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.2 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.29 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा सलंग्न **परिशिष्ट ड.** अनुसार **₹428583** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 590/2024 दिनांक 08/07/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है | अत: उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए | सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

9.1 ₹1.01 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 06/2022 व 03/2024 में **₹100890** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 587/2024 दिनांक 08/07/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा सूचित किया

गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	विवरण	राशि(18 % GST सहित) (₹)
1	मनरेगा	शून्य	06/22	001	2500 टाईल / पेवर @ 13.452/- प्रति पेवर	33630
2	मनरेगा	शून्य	06/22	002	2500 टाईल / पेवर @ 13.452/- प्रति पेवर	33630
3	मनरेगा	शून्य	06/22	003	2500 टाईल / पेवर @ 13.452/- प्रति पेवर	33630
					योग	**100890**

9.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.40 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204-192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं कि जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्लयू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 06/2022 व 03/2024 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **परिशिष्ट "च"** अनुसार **₹39542** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 599/2024 दिनांक 10/07/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: **₹39542** की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार इसकी वसूली उचित स्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

9.3 निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.15 लाख का अनियमित भुगतान :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 06/2022 में मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए **निम्नानुसार** निर्माण कार्य के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री (रेत व सरिये) का निष्पादन कम किया गया दर्शाया गया था, जबकि इस कार्य के लिए निर्माण सामग्री का क्रय आवश्यकता से अधिक किया गया था और शेष बची हुई सामग्री को सामग्री स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था | इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार** सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण **₹15052** का अधिक भुगतान किया गया था |

क) कार्य का नाम :- **C/O Check Dam ward no 1 saloh beri**

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रेत (घन मीटर)
9708 20	CC 1:4:8	10.88	5.11
21	CC 1:4:8	17.78	8.35
22	CC 1:4:8	6.37	2.99
23	CC 1:4:8	41.54	19.52
24	CC 1:4:8	34.19	16.06
		योग	**52.03**
	ग्राम पंचायत द्वारा बिल संख्या 189 दिनांक 15.04.21 अनुसार जारी / खपत मात्रा		**62.30**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		10.27
	क्रय दर		777.38 प्रति घन मीटर
	अधिक भुगतान		**7984**

ख) कार्य का नाम :- **C/O Check Dam ward no 1 saloh beri**

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (मीटर)	सरिये (किलो ग्राम)
9708 19	P/L of mild steel / Tor steel moulding cutting bending & binding placing centre to centre etc. 10MM Steel	268	166
20	Same as above	38.80	24
22	Same as above	167.60	104
23	Same as above	208	129
		योग	**423**
	ग्राम पंचायत द्वारा बिल संख्या 192, 139 दिनांक 15.04.21, 24.10.20 अनुसार जारी / खपत मात्रा		575
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		**152**
	क्रय दर		46.50 (प्रति किलो ग्राम)
	अधिक भुगतान		**7068**

कुल अधिक भुगतान (क+ख) = 15052

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 605/2024 दिनांक 15/07/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः कृत कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 स्व: स्त्रोत शीर्ष से ₹0.10 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 दौरान पंचायत की स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत सचिव, श्री बलजीत सिंह राणा द्वारा **निम्नानुसार ₹9552** का व्यय अपने स्वयं के मोबाइल के रिचार्ज पर किया गया था | अत: इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 596/2024 दिनांक 10/07/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया कि किन नियमों के तहत यह व्यय मान्य एवं न्यायोचित है ? प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि नियम का ज्ञान न होने के कारण **₹9552** का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी वसूली करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी जाएगी व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः कृत कार्यवाही करके अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या**	**माह**	**राशि (₹)**	**टिप्पणी**
1	17 (1)	08/22	1438	उचित बिल न बनाकर कोरे कागज पर भुगतान किया गया।
2	37	10/22	2394	यथोपरि
3	53	02/23	1596	यथोपरि
4	54	02/23	1596	यथोपरि
5	28	08/23	1196	यथोपरि
6	86	03/24	1332	
		योग	**9552**	

9.5 स्व: स्त्रोत शीर्ष से ₹0.05 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में स्व: स्त्रोत निधि से **निम्नानुसार** निविदा आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन पर **₹15164** का भुगतान किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में **वर्णित Appendix-"A"** के क्रम संख्या 13 अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल **₹5000** तक का भुगतान ही एक वित्तीय वर्ष में विज्ञापन पर किया जा सकता है अर्थात ग्राम पंचायत द्वारा **₹5164** का अनियमित भुगतान विज्ञापन पर गया। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 595/2024 दिनांक 10/07/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान नियम का ज्ञान न होने के कारण किया गया था, जिसकी वसूली सम्बन्धित से करके निधि लेखे में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः कृत कार्यवाही करके शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या**	**माह**	**भुगतान योग्य राशि (₹)**	**भुगतान की गई राशि (₹)**	**अधिक भुगतान की गई राशि (₹)**
1	11	06/22	5000	7035	2035
2	4 to 6	04/23	5000	8129	3129
			योग	**15164**	**5164**

10.1 ₹9.12 लाख के कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 589/2024 दिनांक 08/07/2024 द्वारा पंचायत सचिव से **₹911681.50 के निम्न विवरणानुसार** कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, 34 नंबर फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके

प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा स्पष्ट कि गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	मद का नाम	माह	निर्माण कार्य का नाम	चयनित माह में भुगतान की गई राशि (₹)
1	मनरेगा	06/22	Nirman Samparak marg Salekad se lekar awadi brahmna ward no 1	100890
2	मनरेगा	06/22	C/o Check Dam ward no 1 gp saloh beri	202557.5
3	14TH fc	06/22	निर्माण नाला प्रकाश चन्द राणा के घर समीप मुहल्ला वडयाला	68093
4	14TH fc	06/22	खाता शमशान घाट वार्ड नंबर 3 व 4	63733
5	14TH fc	03/24	खाता अपवर्धन सरायें वार्ड नंबर 5	44119
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/22	खाता निर्माण कमरा व वरामदा GSSS Saloh beri	262845
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	खाता अपवर्धन पंचायत घर	29762
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	खाता निर्माण सरायें वार्ड नंबर 1	96141
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	C/o Community centre mohalla kuryali	43541
			योग	**911681.50**

10.2 ₹0.58 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 06/2022 व 03/2024 में **निम्न विवरणानुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत **₹57989** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित

कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 592/2024 दिनांक 08/07/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी | अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (₹)
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	खाता अपवर्धन पंचायत घर	65374 23.03.24	CEMENT	29762
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	C/o community centre mohalla kuryali	5394 17.03.24	steel	28227
					योग	**57989**

10.3 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था | परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि इन पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 598/2024 दिनांक 10/07/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा |

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	राशि (₹)
1	मनरेगा	192, 15.04.21	Steel	20677
2	मनरेगा	139, 24.10.20	Steel	20975
3	मनरेगा	189, 15.04.21	रेत, बजरी इत्यादि	103400
4	IWMP	20, 20.03.22	Mixture	4140
5	IWMP	21, ----	Shutering, Mixture	1052

11.1 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 580/2024 दिनांक 05/07/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था । प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/01 दिनांक 15/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है । यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	गृहकर माँग व संग्रहण रजिस्टर		33 व 77
10	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
11	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11.2 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 597/2024 दिनांक 10/07/2024 द्वारा पंचायत सचिव से रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के अनुसार बनाया जाना वांछित था । प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया है, जिसे नियमानुसार बनाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा । अत: वांछित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 579/2024 दिनांक 05/07/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GP/SB/LAD/REPLY/02 दिनांक 15/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

4493-4497 क्र०/5 प्र० 12 SEP 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(5)108/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि०प्र०)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सलोह बैरी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 4क में संदर्भित

ग्राम पंचायत सलोह बैरी, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	3362081.14	3651413	7013494.14	4348725.65	2664768.49
2	2023-24	2664768.49	2818488.76	5483257.25	3146124.42	2337132.83

सचिव
ग्राम पंचायत सलोह बैरी
विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि०प्र०)

-21-

ग्राम पंचायत सलोह बैरी, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1079797.24	1056933	2136730.24	1100205.75	1036524.49
2	2023-24	1036524.49	1498514.76	2535039.25	1098562	1436477.25

14वां वित्तायोग (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	787819.26	0	787819.26	727200	60619.26
2	2023-24	60619.26	9841	70460.26	68166.46	2293.8

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1343057	1158312	2501369	1029209.2	1472159.8
2	2023-24	1472159.8	316255	1788414.8	988376.96	800037.84

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	1307319	1307319	1307319	0
2	2023-24	0	991019	991019	991019	0

IWMP Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	151407.64	128849	280256.64	184791.7	95464.94
2	2023-24	95464.94	2859	98323.94	0	98323.94

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	2337132.83
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**2352962.13**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	608.00
4)	**योग (2+3)**	**2353570.13**
5)	**अन्तर (4-1)**	**16437.30**

परिशिष्ट क-1

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	KCCB Daultpur (Own & GIA)	20014009420	1328506.65
	KCCB Daultpur (SBM)	50066721649	2818.00
	PNB Daultpur	3957000100120660	104544.60
	HDFC Gagret (15th FC)	50100360743590	807375.14
	PNB Daultpur (14th fc)	3957000100119178	2293.80
	PNB Daultpur (IWMP Contribution Share)	3957000100118656	107423.94
	PNB Daultpur (IWMP)	3957000100119558	0.00
		योग	**2352962.13**
2		**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)**	608.00
		योग (1+2)	**2353570.13**

परिशिष्ट ख

पैरा संख्या 7.1 क में संदर्भित

ग्राम पंचायत सलोह बेरी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक **01.04.2022** से **31.03.2024** तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	71400	50600	122000	55000	67000
2023-24	67000	50600	117600	6000	111600

सचिव
ग्राम पंचायत सलोह बेरी

परिशिष्ट 'ग'   पैरा संख्या 7.2 व 7.3 में सन्दर्भित

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि का विवरण

क्रम सं0	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	संदीप पठानिया पुत्र सतपाल सिंह	21.06.2022	30.06.2022	....	200	0	200
2	संजीव कुमार पुत्र नरेश कुमार	15.07.2022	25.07.2022	.	200.	0	200
3	अनिल कुमार पुत्र रणजीत सिंह	25.10.2020	19.11.2022		400	0	400
4	अनिल कुमार पुत्र बीरबल सिंह	27.09.2022	27.11.2022	718848	400	200	200
5	गगनदीप पुत्र तिलक राज	28.11.2022	06.12.2022	718870	200	200	0
6	अंकुश कुमार पुत्र करतार चंद	04.12.2022	13.12.2022	718871	200	200	0
7	रोहित कुमार पुत्र जगदिश सिंह	09.12.2022	17.12.2022	718872	200	200	0
8	राहुल पुत्र सतपाल सिंह	02.12.2022	13.12.2022	718873	200	200	0
9	अजय कुमार पुत्र अजित सिंह चोहान	02.12.2022	15.12.2022	718874	200	200	0
10	रोहित शर्मा पुत्र सुभाष चंद	08.12.2022	15.12.2022	718875	200	200	0
11	दीपक कुमार पुत्र जवाहर लाल	02.12.2022	15.12.2022	718876	200	200	0
12	शुभम कुमार पुत्र सुरिंदर सिंह	08.12.2022	15.12.2022	718877	200	200	0
13	विजय कुमार पुत्र परशोतम लाल	08.12.2023	18.01.2023	718884	400	200	200
14	तरुण कुमार शर्मा पुत्र शाम लाल	25.01.2023	30.01.2023	0	200	0	200
15	संजीव कुमार पुत्र क्रिशन चंद	15.01.2023	30.01.2023	0	200	0	200
16	पवन कुमार पुत्र किशन चंद	18.01.2023	30.01.2023	0	200	0	200
17	हरदीप कुमार पुत्र बत्तन चंद	04.02.2023	10.02.2023	0	200	0	200
18	हितेश बधन पुत्र देव राज बधन	15.05.2023	25.05.2023	0	200	0	200
19	नरिंदर सिंह पुत्र परमजीत	22.09.2023	15.10.2023	0	200	0	200
20	रमण कुमार पुत्र राम पल	22.09.2023	15.10.2023	0	200	0	200
21	प्रिंस ठाकुर पुत्र सतीश सिंह	29.11.2023	05.12.2023	0	200	0	200
22	सौरभ कुमार पुत्र सुदर्शन कुमार	16.01.2024	25.01.2024	0	200	0	200
23	विनयडडवाल पुत्र विजय कुमार	06.02.2024	21.02.2024	0	200	0	200
24	शुभम कुमार पुत्र सुरिंदर सिंह	06.02.2024	21.02.2024	719151	200	200	0
25	साहिल कुमार पुत्र ओंकार सिंह	10.02.2024	20.02.2024	719155	200	200	0
26	अक्षय कुमार पुत्र मोहिंदर सिंह	18.02.2024	25.02.2024	719154	200	200	0
				योग	5800	2600	3200

BSRana
Received

सचिव
ग्राम पंचायत सलोह बेरी
विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0)

सचिव BSRana
ग्राम पंचायत सलोह बेरी
विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0)

दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि का विवरण

कम सं0	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
10							
11							

परिशिष्ट 'घ' पैरा संख्या8 /में संदर्भित

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	मनरेगा	06/22	462 to 466	Raju Painter VPO Joh	8 No. Boards	8000
2	मनरेगा	06/22	001 to 003 01 to 03.04.21	M/s Shankar Tiles And Blocks Works Bhaderkali	7500 pevers	100890
3	मनरेगा	06/22	189 15.04.21	Surjit Traders VPO Saloh beri	Sand , Agg.	103400
4	मनरेगा	06/22	192 15.04.21	Surjit Traders VPO Saloh beri	Steel	20677
5	14TH FC	06/22	684 10.05.22	SIDHI VINAYAK STONE CRUSHER RANOH	SAND, AGG	21390
6	14TH FC	06/22	686 10.05.22	SIDHI VINAYAK STONE CRUSHER RANOH	SAND, AGG	25817
7	14TH FC	06/22	32724 18.06.22	HIM URJA UNA	25 NO. SOLAR LIGHTS	359600
8	14TH FC	06/22	1 15.06.22	PRADEEP KUMAR VPO GHANGRET	AGG	5427
9	14TH FC	03/24	3482 --	HERAY KRISHNA TRADERS DAULTPUR	TILES	16661
10	14TH FC	03/24	286 10.02.24	JAI DURGA WELDING WORKS	2 NO. STEEL DOOR	8000
11	14TH FC	03/24	22 07.02.24	M/S AJAY KUMAR SALOH BERI	SAND	2093
12	14TH FC	03/24	1616 11.02.24	MUKESH HARDWARE STORE BHAVNOUR	PAINT MATERIAL	3912
13	14TH FC	03/24	--	HP CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	3002

14	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	10 06/22	3152 26.05.22	Bawa steel & cement strore vpo babehar	Steel	42406
15	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	10 06/22	3153 30.05.22	Bawa steel & cement strore vpo babehar	Steel	27673
16	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	10(i) 06/22	76839 16.06.22	HP CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	31632.75
17	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	12(i) 06/22	76997 11.09.22	HP CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	18608
18	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	14 06/22	35 15.05.22	Jai Bhole Shanker Bricks saloh beri	bricks	44520
19	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	826 11.03.24	GN Enterprises Daultpur chowk	GYM Material	49940
20	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	5392 16.03.24	Bawa steel & cement strore vpo babehar	Steel	28380
21	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	65374 23.03.24	HP CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	37574
22	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	403 08.03.24	M/s Jai bhole shanker bricks	bricks	10017
23	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	5394 17.03.24	Bawa steel & cement strore vpo babehar	Steel	28227
24	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	27 01.03.24	M/s Ajay kumar vpo saloh beri	Sand agg.	20960
25	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	5128 26.03.24	Bawa steel & cement strore vpo babehar	Steel	15314
26	15th fc	03/24	373 04.02.24	Jai Bhole Shanker Bricks saloh beri	bricks	9620
27	15th fc	03/24	27 01.03.24	M/s Ajay kumar vpo saloh beri	Sand agg.	14740

28	15th fc	03/24	23 07.02.24	M/s Ajay kumar vpo saloh beri	Sand agg.	3495
29	15th fc	03/24	26 03.03.24	M/s Ajay kumar vpo saloh beri	Sand agg.	25830
30	15th fc	03/24	1611 ---	Mukesh hardware store bhavnour	GI pipes	2529
					योग	**1090334.75**

सचिव
ग्राम पंचायत सलोह बेरी

परिशिष्ट 'ङ' पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना क्रय करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	मनरेगा	06/22	462 to 466 22.11.21	Raju Painter VPO Joh	8 No. Boards	8000
2	मनरेगा	06/22	191 15.04.21	Surjit Traders VPO Saloh beri	शटरिंग, ढुलाई	46980
3	मनरेगा	06/22	189 15.04.21	Surjit Traders VPO Saloh beri	Sand , Agg.	103400
4	मनरेगा	06/22	100 18.04.21	Surjit Traders VPO Saloh beri	Water Tank, mixture	30800
5	मनरेगा	06/22	192 15.04.21	Surjit Traders VPO Saloh beri	Steel	20677
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/22	3152 26.05.22	Bawa steel & cement strore vpo babehar	Steel	42406
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/22	3153 30.05.22	Bawa steel & cement strore vpo babehar	Steel	27673
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/22	30-31 06.05.22	Deepak kumar Jarial vpo nangal jariala	Advertisement	7035
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/22	564 28.04.22	Deepak art studio vpo nangal jariala	Photos	1500
10	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/22	35 15.05.22	Jai Bhole Shanker Bricks saloh beri	bricks	44520
11	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	314 --	Billa Sweet shop vpo marwari	चायपान	1505
12	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	5392 16.03.24	Bawa steel & cement strore vpo babehar	Steel	28380
13	स्व: स्त्रोत	03/24	403	M/s Jai bhole shanker	bricks	10017

परिशिष्ट ग्

पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत सलोह बेरी, विकास खंड गगरेट जिला ऊना

क्रम संख्या	मद का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा (टनों में)	दर (प्रति टन)	देय रॉयलटी
1	14th FC	C/o Shamshan Ghat Ward No 3 &4	684 10.05.22	Sidhi Vinayak Stone Crusher Ranoh	रेत	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
					बजरी	14.16	1.52	21.5232	80	1721.856
2	14th FC	निर्माण नाली गंदे पानी की निकासी मोहल्ला वडयाला	685 10.05.22	Sidhi Vinayak Stone Crusher Ranoh	रेत	12.03	1.62	19.4886	80	1559.088
					बजरी	19.11	1.52	29.0472	80	2323.776
3	14th FC	C/o Shamshan Ghat Ward No 3 &4	1 15.06.22	Pradeep Kumar Ghangret	रेत	0.00	1.62	0	80	0
					बजरी	7.78	1.52	11.8256	80	946.048
4	14th FC	Up gradation Community centre ward no 5	22 07.02.24	M/s Ajay Kumar Saloh Beri	रेत	1.98	1.62	3.2076	80	256.608
5	मनरेगा	C/o Check Dam Ward No 1	189 15.04.21	Surjeet Traders GP Saloh beri	रेत	62.30	1.62	100.926	80	8074.08
					बजरी	82.12	1.52	124.8224	80	9985.792
6	15th FC	नवीनीकरण तालाब नजदीक GSSS Saloh beri	24 07.02.24	M/s Ajay Kumar Saloh Beri	रेत	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
					बजरी	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
7	15th FC	गंदे पानी की निकासी मोहल्ला लोहारा	23 07.02.24	M/s Ajay Kumar Saloh Beri	रेत	1.41	1.62	2.2842	80	182.736
8	15th FC	निर्माण रास्ता लिंक रोड से मोहल्ला बुराला	26 03.03.24	M/s Ajay Kumar Saloh Beri	रेत	9.91	1.62	16.0542	80	1284.336
					बजरी	16.99	1.52	25.8248	80	2065.984
							योग	395.4162	80	31633.296
									25% पेनल्टी	7908.324
									कुल योग	39541.62

सचिव
ग्राम पंचायत सलोह बेरी
विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि०प्र०)